# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–100/2020 दायर दिनांक: 22.07.2020
GCMS NO:- 2020/00189
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

पिन्टू कुमार पुत्र गेन्दया जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. गोपीलाल पुत्र गेन्दया जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. गोविन्द लालपुत्र गेन्दया जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. गीता बाई पुत्री गेन्दया हाल पत्नि शंकर लाल जाति धाकड निवासी सावतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. मनभर पत्नि गेन्दया जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. गोपाल पुत्र कालूजाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. रामरतन पुत्र कालू जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. शोभाग पुत्र रामकुंवारजाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. भूली बाई पुत्री रामकुवांरजाति धाकड निवासी ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

**वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट**

**उपस्थिति–**
**प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण**

निर्णय दिनांक 29.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम समीधी पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी व प्रत्यार्थी 1 लगायत 4 के खातेदारी की खसरा संख्या 323 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम समीधी पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में भूमि प्रत्यार्थी 4 लगायत 10 के खातेदारी की खसरा संख्या 322 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में जाने का एक मात्र रास्ता समीधी से उनियारा जाने वाले रास्ते से हटकर खसरा संख्या 301, 300 एवं 302 की मेड पर होता हुआ, खसरा संख्या 322 व 321 की मेड पर होता हुआ दक्षिण की तरफ होकर खसरा संख्या 323 पर पहुचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगण अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्व कर करने पर आमदा है।। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिए रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रत्यार्थीगण 5 लगायत 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रास्ता प्रत्यार्थी 1 गोपीलाल जो प्रार्थी का सगा भाई है [illegible] संख्या 322 में 7/20 हिस्सा की मेर के पास होकर जाता है जो वर्तमान में अप्रार्थी [illegible] बंद कर दिया। इस प्रकार प्रार्थी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:20:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)



Scanned with CamScanner

के भाई गोपीलाल की आपसी लडाई झगडे की वजह से गलत तथ्य बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 322 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 322 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा में से रकबा 51 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 102 वर्ग गठ्ठा= रकबा 5 बिस्वा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता बिन्दू संख्या B से C तक नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका रकबा 0.05 बिस्वा है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट समीधी में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम समीधी पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 323 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या खसरा संख्या 322 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा में से रकबा 51 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 102 वर्ग गठ्ठा= रकबा 5 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ता बिन्दू संख्या B से C तक नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका रकबा 0.05 बिस्वा है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:20:58 IST
Reason: SelfAttested





Scanned with CamScanner